कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री परीक्षित इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 8 / 744, विकास नगर, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**047 / 13, 04.10.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री प्रमोद कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री परीक्षित इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 8 / 744, विकास नगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 04.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ‘‘ HDPE VERMIBED ’’ की बिक्री पर कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री प्रमोद कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उनके द्वारा M/s Lamifabs & Papers (P) Ltd. द्वारा निर्मित Tetra Vermibed की बिक्री की जाती है। इस Vermibed का प्रयोग vermicompost, vermiwash and earthworms के निर्माण के लिए किया जाता है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि HDPE VERMIBED एक एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट है जिसका प्रयोग किसानों द्वारा vermicomposting के निर्माण के लिए किया जाता है। इस खाद के प्रयोग से फसल की उत्पादकता बढ़ती है। यह भी कहा गया कि नेशनल हार्टिकल्चर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके द्वारा 12 फिट x 4 फिट x 2 फिट की नाप के VERMIBED का मूल्य रु0 10,000/- निर्धारित किया गया है जिसमें 50% सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी गयी है। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डायरेक्ट्रेट द्वारा भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी पत्रों को प्रस्तुत किया गया। यह भी कहा गया कि ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैन्डर्ड द्वारा भी इसे आईएस मार्किंग दी गयी है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-I के क्रमांक-1 पर एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट परिभाषित है जिसमें करमुक्त वस्तुएं अंकित की गयी हैं। VERMIBED का प्रयोग केवल कृषि कार्यों में होता है। अत: इसे उक्त श्रेणी में करमुक्त निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रार्थी द्वारा यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने विज्ञप्ति दिनांक 12.04.2010 से VERMIBED को करमुक्त कर रखा है। विज्ञप्ति की प्रति दाखिल की गयी है। यह भी कहा गया कि धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-41 / 12 में Light Trap पर करेदयता का बिन्दु निहित था और इसके निर्णय दिनांक 08.10.2012 में Light Trap की उपयोगिता के दृष्टिगत इसे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-1 के अन्तर्गत करमुक्त माना गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ के पत्र संख्या-2127, दिनांक 29.10.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि HDPE VERMIBED उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-1 के ए या बी दोनों में से किसी भी श्रेणी में आच्छादित नहीं है।

....2

अत: इस पर अवर्गीकृत की भाँति करदेयता होनी चाहिए।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-1 निम्न भाँति है :-

Agricultural implements including sprayers & drip irrigation equipments - manually operated or animal driven or tractor or power driven; spare parts and accessories thereof.

(A) Agricultural implements - manually operated or animal driven - hand hoe or khurpa, sickle, spade, baguri, hand-wheel hoe, Budding / grafting knife, secateur, pruning shear or hook, hedge shear, sprinkler, raker, sprayer, duster and sprayer-cum-duster, kudali or kudal, garden fork, garden hatchet, lopper, axe shovel, bill hook (single edge or double edge), soil injector, jandra, wheel barrow, winnowing fan or winnower, dibbler, gandasa, puddler, leveller or scoop, scraper, fertilizer seed broadcaster, sheller, groundnut decorticator, manure or seed screen, flame gun, seed grader, tasla, tangli, yoke, plough, harrow, cultivator or trifali, seed drill, fertilizer drill, seed-cum-fertilizer drill, planter, plank or float, ridger, ditcher, bund former, thresher or palla, transplanter, chaff cutter, Persian wheel and bucket chain or washer chain, crop yield judging hoops, pur or mhot, carts, reaper, mower, sugar cane crusher, cane juice boiling pan and grating roller and crowbar; Animal driven cart, tyre and tube thereof

(B) Agricultural implements – Tractor or power driven - plough, harrow, cultivator or tiller, seed drill, fertilizer drill or fertilizer-cum-seed drill, fertilizer broadcaster, planter, plank or float, leveller or scoop, bund former, ridger, puddler, ditcher, cage wheel, sprayer, duster or sprayer-cum-duster, roller, hoe, rotary hoe or rotovetor, reaper or mower, potato harvester or spinner, groundnut digger, shaker, thresher, chaff cutter, groundnut decorticator, seed grader, winnower, seed treater, poultry feed grinder and mixer, and transplanter.

उक्त प्रविष्टि में सभी प्रकार के एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट को विस्तार से अंकित किया गया है। इसमें कोई भी इम्पलीमेन्ट खाद निर्माण से सम्बन्धित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत HDPE VERMIBED का प्रयोग vermicomposting के लिए किया जाता है इसमें विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा vermicompost (जैविक खाद) का निर्माण किया जाता है। VERMIBED जैविक खाद के निर्माण का उपकरण है इसे कृषि उपकरण या संयन्त्र नहीं माना जा सकता। जहाँ तक धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-41 / 12 पर पारित निर्णय दिनांक 08.10.2012 का प्रश्न है, यह निर्णय Harmful Insect को TRAP करने वाले Light Trap से सम्बन्धित है। इस उपकरण का प्रयोग फसल की सुरक्षा हेतु किया जाता है। यह निर्णय प्रस्तुत मामले में लागू नहीं है।

यह भी कहा गया कि महाराष्ट्रा सरकार ने विज्ञप्ति संख्या-400032, दिनांक 12.04.2010 द्वारा HDPE Fabric Vermicompost Bed को अलग से क्रमांक-81 पर अंकित करते हुए करमुक्त किया है। इसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेन्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है। कर्नाटक वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट की धारा-59 (4) में दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.08.2012 में पारित निर्णय में कमिश्नर, कामर्शियल टैक्सेस, कर्नाटक, बंगलौर

के निर्णय दिनांक 09.11.2012 द्वारा HDPE Vermi Composit Bed को 14.5% की दर से करयोग्य निर्धारित किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर HDPE VERMIBED उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV से आच्छादित न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करयोग्य होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि HDPE VERMIBED का प्रयोग जैविक खाद के निर्माण के लिए किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-I के क्रमांक-1 पर अंकित Agricultural equipment की श्रेणी में नहीं आता है। अत: यह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होगा।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 22 जनवरी, 2014

ह0 / 22.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।